

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
अहकाम  
हुकम की  
में जा

किया गया।

पत्रावली वास्ते जवाब सरकार  
दिनांक - 24/03/2021 को पेश हुँ।

24/3/21

पत्रावली पेश। वास्ते पेश करने जवाब  
सरकार दिनांक - 7/04/2021 को पेश  
हुँ। वकील प्राची जवाब उल जवाब  
पेश करना चाहते हुँ।

7/4/21

पत्रावली पेश। वकील पक्षकारन उपवदु /  
वकील प्राची जवाब उल जवाब पेश नही  
करना चाहते हुँ। वकील अप्राची ने जवाब  
पेश हुं जाने व उदु अपूरणीय धरि कही  
हुने का कथन कर बहुस सुनी जाने  
का निवेदन किया। जिस पर वकील प्राची  
को कोई आपत्ति नही हुँ। बहुस वकील  
पक्षकारन सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली  
दिनांक - 19/04/2021 को पेश हुँ।

19/4/21

पत्रावली पेश। वकील पक्षकारन की बहुस  
पर मनन किया।

वकील प्राची ने दर्शन बहुस कथन  
किया। की दुमारे दो खाले हुँ। खाला स. 692  
व खाला स. 114 हुँ। खाला स. 692 के  
अन्धर दुमारी शामिली खेती हुँ। दुम P-14  
का रिकॉर्ड पेश नही कर पाये हुँ। दुम शरी  
पर काबिल हुँ व खेती कर रहे हुँ। खाला  
सख्या 414 मे 2 नम्बर हुँ। जिसे खरीद  
था। इन्होंने 1/3 डिस्सा खरीद था।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

दोनों को प्राथमिक डिक्री कर दुमारा 4/2-1/3  
दिस्या करके जिसका जहाँ दिस्या आ  
रहा है, वहाँ अपनी D.P. लगवा ले, दुमारे  
कोई आपत्ति नहीं है।

स्वउन में वकील अणधी ने  
कथन किया की प्रा.पत्र के चरण संख्या 2  
में जो भूमि अंकित है, 21.03 बीघा जिसमें  
प्राधी स्वतेशर नहीं होकर अणधी संख्या  
1 व 2 स्वतेशर है। इसको भी इन्होंने  
दोनों में शामिल कर लिया है।  
आर स्वयं को उसका स्वतेशर मानते हुये  
संपत्ति दे दिया है। भवरलाल, बालू का पुत्र है,  
जबकि इन्होंने लालू का पुत्र बताया है।  
इसके समर्पण में इन्होंने पचास स्वतेशरी पेश  
की है। वयान (स्वीकृति) पेश किया है।  
भवरलाल के पिता का नाम बालू है, इसबाबर  
मलदादा सूची पेश की है। दुसरी जमीन  
रजिस्टर्ड डीड लिखने वाले ने उनके बाप  
का नाम बालू लिख दिया। ये अपना  
नाम शुद्ध करने के लिये अधिकार घोषणा  
मांग रहे हैं।

स्वउन में वकील प्राधी ने कथन  
किया की मैं आज भी मैंके पर काबिल  
हूँ। स्वयं परिवर्तनशील की पैनल्टी देना  
है। इनको T.I. से पाबन्द किया जावे।

वकील प्राधी के उत्तर तथ्यों का  
स्वउन करते हुये कथन किया की एक  
सदुस्वतेशर को दुसरे सदुस्वतेशर के  
विरुद्ध T.I. प्राप्त करने का अधिकार  
नहीं है। प्रा.पत्र स्वरीज फरमाया जावे।

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
में जारी

हुमने बहुत से दौरान परसुलतकी  
पर दमनपूर्वक मनन किया व पत्रावली  
पर उपलब्ध दस्तावेजों का अक्लौकन  
किया। प्रकरण में विवाहित भूमिगत पावर्गिण स्या.न. 692  
स्वातेदार न होकर अग्रणी स्वातेदार है व  
आता स. 414 के सहस्वातेदार है। एक सहस्वातेदार  
के विरुद्ध न. 1. जारी करना न-भागलथ  
उचित नहीं समझला है। प्रकरण में पावर्गिण  
की अपूरणीय धर्म की सम्भावना नहीं है।  
पथम दुल्हा आमला भी पावर्गिण के पक्ष  
में नहीं बन रहा है।

अतः प्रा.पत्र पावर्गिण खरीत  
किया जाता है। पत्रावली फंसल शुभारंभ की  
जाकर बाद तकमील नम्बर से कम  
होकर मूल वाद के साथ सलमन  
रहे। निर्णय सारे इजलास चुनाया  
गया।

उपरोक्त अधिकारी  
दिण्डोली (बुन्दी)